न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 09/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह जटसिख निवासी 1 वीं तहसील श्रीकरणपुर		1. रेशम कौर पत्नि जीत सिंह जटसिख निवासी 1 वीं तहसील श्रीकरणपुर 2. गुरदीप सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 1 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 06.02.2020

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी

--निर्णय--

दिनांकः 02/02/21

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 1 वीं द्वितीय, पटवार हलका 8 वीं तहसील श्रीकरणपुर जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 16, 34/1, 34/2 में कुल 3.427 हैक्टर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 रेशम कौर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 17, 34/3 में कुल 6.121 हैक्टर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 गुरदीप सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता संख्या 26 के मुरब्बा नम्बर 16 में कुल 0.278 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम 47/278, अप्रार्थी संख्या 1 रेशम कौर के नाम 47/278, गुरदीप सिंह के नाम 23/139, बलवीर कौर के नाम 23/139 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खाता संख्या 25 की कुल 3.427 हैक्टर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 रेशम कौर के नाम से दर्ज है, जो पूर्व में प्रार्थी की दादी कर्म कौर पत्नि काबल सिंह के नाम दर्ज थी। कर्म कौर की मृत्यू दिनांक 29.08.2008 को हो चुकी है। मृत्यू से पूर्व गुरदीप सिंह के द्वारा किसी समय कर्म कौर की कृषि भूमि का तथाकथित दानपत्र दिनांक 28.04.2008 को अप्रार्थी सख्या 2 व प्रार्थी की माता रेशम कौर के नाम करवा लिया गया। दानपत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 गुरदीप सिंह ने कर्म कौर के नाम की कृषि भूमि का नामान्तरण अपनी माता रेशम कौर के नाम दर्ज करवा लिया। परन्तु उक्त दानपत्र प्रारम्भतः शून्य प्रतीत होता है। क्योंकि उक्त दानपत्र में अंकित कृषि भूमि के कब्जे का वास्तविक परिदान नहीं हुआ है। जिस प्रकार प्रार्थी की दादी कर्म कौर हमारे संयुक्त परिवार में कभी प्रार्थी के पास कभी अप्रार्थी संख्या 2 के पास रहती थी। उसी प्रकार प्रार्थी की माता रेशम कौर भी कभी प्रार्थी के पास कभी अप्रार्थी संख्या [illegible] रहती है। वर्तमान में प्रार्थी की माता अप्रार्थी संख्या 1 रेशम कौर, अप्रार्थी संख्या 2 [illegible]दीप [illegible] के पास निवास कर रही है। आज से करीब 10 रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या [illegible] दी कि जिस प्रकार मैने दादी कर्म कौर की कृषि भूमि का दानपत्र, अपनी माता [illegible] के नाम करवाकर नामान्तरण दर्ज करवा लिया, उसी प्रकार माता रेशम कौर के नाम [illegible] कृषि भूमि का हस्तान्तरण अपने, अपनी पत्नि व बच्चों के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम करवाकर कब्जा उसे सौंप दुंगा। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को ना पूरा हो सकने

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:28:08 IST
Reason: SelfAttested

02/02/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थी जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को रोक पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक 1 वीं द्वितीय की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 16, 34/1 व 34/2 में रेशम कौर के नाम दर्ज कुल 3.427 हैक्टर नहरी कृषि भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने से बाज व ममनू रहें, व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस विस्तारपूर्वक सुनी। पत्रावली प्रार्थना पत्र एंव पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 चक 1 वीं द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं खाता संख्या 25 रकबा 3.427 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला दानपत्र उपपंजीयन केसरीसिंहपुर 356 दिनांक 29.04.2008 नामान्तरण संख्या 99 दिनांक 20.05.2008, गिरदावरी सेटलमेंट विभाग का गहनतापूर्वक अध्ययन एंव अवलोकन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन किया। हम प्रकरण का निर्णयन निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-** इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया कि चक 1 वीं द्वितीय पटवार हलका 8 वीं तहसील श्रीकरणपुर सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 16, 34/1 एंव 34/2 में कुल 3.427 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला आराजी अप्रार्थी संख्या 1 रेशम कौर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थी की दादी कर्म कौर पत्नि काबल सिंह जाति जटसिख निवासी 1 वीं तहसील श्रीकरणपुर के नाम खातेदारी हैसियत से दर्ज थी। कर्म कौर की मृत्यू से पूर्व गुरदीप सिंह द्वारा किसी समय कर्म कौर की कृषि भूमि का तथाकथित दानपत्र दिनांक 28.04.2008 को अप्रार्थी संख्या 02 एंव प्रार्थी की माता रेशमकौर के नाम करवा लिया। उक्त दानपत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 गुरदीप सिह ने कर्म कौर के नाम की कृषि भूमि का नामान्तरण अपनी माता रेशम कौर के नाम दर्ज करवा लिया। परन्तु उक्त दानपत्र प्रारम्भतः शून्य प्रतीत होता है। क्योंकि उक्त दानपत्र में अंकित कृषि भूमि के कब्जे का वास्तविक परिदान नहीं हुआ और दानग्रहिता द्वारा दान को ग्रहण या स्वीकार नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:28:08 IST
Reason: SelfAttested

हमने उपर्युक्त प्रार्थना पत्र एंव प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में वर्तमान ... नाम ... में कर्म कौर बेवा काबल सिंह दर्ज है। साथ में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन ... गये है कि उक्त आराजी उसकी दादी के नाम खातेदार दर्ज थी। तत्पश्चात कर्मकौर द्वारा रेशम कौर के पक्ष में दानपत्र निष्पादित किया। हमने दानपत्र की अप्रमाणित प्रतिलिपि तथा नामातंरण संख्या 99 दिनांक 20.05.2008 की अप्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन किया उक्त के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि कर्मकौर पत्नि काबल सिंह द्वारा रेशम कौर पत्नि जीत सिंह के पक्ष में

02/02/21

दानपत्र निष्पादित किया गया जिसके आधार पर नामांतरण संख्या 99 स्वीकृत हुआ तथा इसके आधार पर अधिकार अभिलेख में रेशम कौर का नाम अमलदरामद हुआ। हस्तगत प्रकरण के संबध में हम ''हिन्दूउत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(ख) व 14'' की विवेचना करना समीचीन एवं उचित समझते है।

''धारा 2 (ख):- ऐसे किसी भी व्यक्ति जो धर्मतः बौद्व, जैन या सिक्ख हो।

धारा 14 :- हिन्दू नारी की सम्पति उसकी आंत्यतिकतः अपनी सम्पति होगी।

(1) हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरणः- इस उपधारा में सम्पति के अंतर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पति आती है। जो हिन्दू नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण-पोषण के या भरणपोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह सम्बन्धी हो या न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रम द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की हो और ऐसी सम्पति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी''

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी एक सिक्ख नारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार हिन्दू नारी की सम्पति उसकी आंत्यतिकतः अपनी सम्पति होगी। लिहाजा हिन्दू नारी की आंत्यतिकत अपनी सम्पति के विरूद्व प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना हम विधिसंगत नहीं समझते। लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2.सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी । चूकिं प्रथम दृष्टया मामला पूर्व में ही प्रार्थी के विरूद्व साबित हो चुका है। साथ ही प्रार्थी यह स्पष्ट करने में पूर्णतः असफल रहा है कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में किस-किस आधार पर और कैसे - कैसे है।

3.अपूरणीय क्षतिः- चूंकि बिन्दू संख्या 01 प्रथम दृष्टया मामला तथा बिन्दू संख्या 02 सुविधा का संतुलन प्रार्थी/वादी के विरूद्व साबित हो चुके है। हस्तगत प्रकरण में आराजी की खातेदार एक हिन्दू नारी होने से यह संम्पति उसकी आंत्यतिकत स्वयं की होती है। लिहाजा इस प्रकरण में प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि उसे अपूरणीय क्षति किस प्रकार कारित होगी।

अतः हस्तगत प्रकरण के संबध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय [illegible] को प्रार्थी साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अस[illegible] व्यादेश को अस्वीकार/खारिज करना हम उचित एंव विधिसंगत समझते है।

02/02/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

सतनाम सिंह बनाम रेशम कौर आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 09/2020

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

02/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 02/02/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

02/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:28:08 IST
Reason: SelfAttested